न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय रामकरण **बनाम** रामनिवास

केस संख्या 231/15 5765

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी व प्रतिवादी 8 उपस्थित। वादी ने डी.एल.आर. की हेक रिपोर्ट पेश की। प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण हो चुकी है। बावजूद तामील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 7 अनुपस्थित है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी व प्रतिवादी 8 ने मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आग्रम कार्यवाही हेतु दिनांक 9/11/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	9/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। व०प०उप०। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। ~~पत्रावली~~ वादी व प्रतिवादी-8 ने मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16/11/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	16/11/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व प्रतिवादी-8 उपस्थित। वाद मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sun[illegible] Sharm[illegible]
Date: 2023.01.05 14:[illegible]6:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जि. जयपुर

फर्द अहकाम

रामकरण **बनाम** रामनिवास

...लय

... 231/15 धारा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर आमेर जि. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:36:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 231/2015 वाद प्रस्तुति दिनांक – 31.12.2015

रामकरण पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयुपर।

.... वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)।
2. यादराम पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)।
3. पुरणमल स्व0 श्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)।
4. रुकमा देवी पुत्री स्व0 श्री प्रभात पत्नी श्री नानूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान।
5. राधा देवी पुत्री स्व0 श्री प्रभात पत्नी श्री गोरधन, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरसौली, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राजस्थान।
6. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 श्री प्रभात पत्नी श्री शंकरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरसोली, तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।
7. शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री प्रभात जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. भगवान सहाय मीणा पुत्र श्री शैतानमल जाति मीणा, निवासी ग्राम सरना डूंगर पोस्ट खोराबीसल, तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।
9. राज सरकार लेन्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर मु0 जयपुर।
10. उपपंजीयक महोदय आमेर, मु0 जयपुर।

......प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:36:36 IST
Reason: SelfAttested

वाद बाबत तकासमा स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत [illegible] – 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री मुकेश महर्षि – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री भगवानसहाय शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।

दिनाँक:– 16.11.2022

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 136 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 137 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 180/3 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3100 हैक्टेयर स्थित है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने हिस्से अनुसार मनबंट के आधार पर अपने अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परंतु उक्त वादग्रस्त आराजीयात का आज तक बाई मीट्स एंड बाउण्डस के आधार पर तकासमा विधिवत रूप से नहीं हुआ है। वादग्रस्त संयुक्त कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हो जाने तक अभिवाजित भूमियों के किसी भी इंच पर किसी भी प्रकार का निर्माण किये जाने का अभिवाजित भूमियों के किसी भी इंच पर किसी भी प्रकार का निर्माण किये जाने का प्रतिवादीगण को कोई हक नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त कृषि भूमियों का कानूनन बाई मीट्स एंड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कराने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा वादी को धमकियां देने लगे हैं।

वादी अधिकारी है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करवा लेवे कि वे जब तक उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों का तकासमा विधिनुसार नहीं हो जाता तब तक उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि भूमि विवादग्रस्त का विभाजन कर वादी को उनके हिस्से की भूमि का अलग खाता व लगान कायम करें व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाए कि वे विवादित भूमि में वादी के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी में दखलअंदाजी न करें।

प्रतिवादीगण की विधि अनुसार तलवी की गई। दिनांक 19.06.2017 को पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम खारोबीसल में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 7 व 10 अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर द्वारा मुताबिक प्राथमिक डिक्री अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्ताव इस न्यायालय को भिजवाये गये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:36:36 IST
Reason: SelfAttested

वादी व प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव पर [illegible] प्रस्तुत की गई। वादी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.10.2022 को नोट प्रेस किया। जिसे उनके अधि[illegible]ा द्वारा विधिवत पहचान की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6, 7 बावजूद तामील नोटिस बार–बार तारीख पेशीयों पर अनुपस्थित रहने पर दिनांक 01.11.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 231/2015
वउनवानी – रामकरण बनाम रामनिवास वगै0
निर्णय दिनांक – 16.11.2022

उभयपक्ष अधिवक्तागण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। पूर्व में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

1. रामकरण पि. प्रभात जाति मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 136/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 137/1 रकबा 0.1238 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1638 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
2. रामनिवास यादराम पि. प्रभात हि. 19/69, पूरणमल, प्रभात, शांति देवी पत्नी प्रभात हि. 20/69, रूकमा देवी, राधा देवी, लक्ष्मी देवी पुत्रियां प्रभात हि. 10/23 जाति मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 136/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 137/2 रकबा 0.1325 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1725 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
3. भगवान सहाय पुत्र शैतानमल मीणा हि. 5575/9737 राजकुमारी देवी पत्नी भगवान सहाय मीणा हि. 4162/9737 जाति मीणा निवासी सरना डूंगर तहसील व जिला जयपुर सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 136 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.4137 हैक्टेयर खसरा नम्बर 180/3 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9737 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। ।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.11.2022 को जारी किया ।

दस्तखत ---
ओहदा ---

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:36:36 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **सुनील शर्मा (आर.ए.एस)**

नियमित वाद संख्या 231/2015 निर्णय दिनांक 09.11.2022

रामकरण पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... **वादी**

बनाम

1. रामनिवास पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)।
2. यादराम पुत्र स्व0 श्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)।
3. पुरणमल स्व0 श्री प्रभात, जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज)।
4. रुकमा देवी पुत्री स्व0 श्री प्रभात पत्नी श्री नानूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान।
5. राधा देवी पुत्री स्व0 श्री प्रभात पत्नी श्री गोरधन, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरसौली, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राजस्थान।
6. लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 श्री प्रभात पत्नी श्री शंकरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम हरसोली, तहसील फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान।
7. शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री प्रभात जाति मीणा, निवासी ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर।
8. भगवान सहाय मीणा पुत्र श्री शैतानमल जाति मीणा, निवासी ग्राम सरना डूंगर पोस्ट खोराबीसल, तहसील व जिला जयपुर राजस्थान।
9. राज सरकार लेन्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील आमेर मु0 जयपुर।
10. उपपंजीयक महोदय आमेर, मु0 जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:36:36 IST
Reason: SelfAttested

..........प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक 16.11.2022

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. रामकरण पि. प्रभात जाति मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 136/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 137/1 रकबा 0.1238 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.1638 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शाया गया है।
2. रामनिवास यादराम पि. प्रभात हि. 19/69, पूरणमल, प्रभात, शांति देवी पत्नी प्रभात हि. 20/69, रूकमा देवी, राधा देवी, लक्ष्मी देवी पुत्रियां प्रभात हि. 10/23 जाति मीणा सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 136/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 137/2 रकबा 0.1325 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1725 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में नीले रंग से दर्शाया गया है।
3. भगवान सहाय पुत्र शैतानमल मीणा हि. 5575/9737 राजकुमारी देवी पत्नी भगवान सहाय मीणा हि. 4162/9737 जाति मीणा निवासी सरना डूंगर तहसील व जिला जयपुर सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 136 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.4137 हैक्टेयर खसरा नम्बर 180/3 रकबा 0.19 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9737 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। ।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.11.2022 को जारी किया ।

दस्तखत –––

ओहदा –––

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2023.01.05 14:36:36 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपये	पैसे	मुददाय	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		